भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 764

उत्तर देने की तारीख 26 जुलाई, 2023

बुधवार, 04 श्रावण, 1945 (शक)

अल्पसंख्यक समुदायों को कौशल विकास प्रशिक्षण

764 श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विशेषकर असम में अल्पसंख्यक समुदायों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई योजना शुरू की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न मंत्रालयों और कौशल विकास मंत्रालय द्वारा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, विशेष रूप से असम के कितने छात्रों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(घ) उक्त प्रत्येक योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों और हासिल की गई उपलब्धियों का ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कौशल विकास में सुधार के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) और (ख) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई), कुशल भारत मिशन के अंतर्गत, विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के तहत असम सहित देश भर

के कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों के साथ-साथ समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुन: कौशल और कौशल उन्नयन कार्यक्रम प्रदान करता है। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2022-23 तक पीएमकेवीवाई के अंतर्गत असम राज्य को वितरित की गई कुल धनराशि 300.41 करोड़ रुपए है और वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 तक जेएसएस के तहत 10.17 करोड़ रुपए है। आईटीआई के संबंध में दैनिक प्रशासन के साथ-साथ वित्तीय नियंत्रण संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पास है। एनएपीएस के तहत, प्रतिष्ठानों को वृत्तिका सहायता के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (एमओएमए) विशेष रूप से छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के लिए 'सीखो और कमाओ', 'उस्ताद' और 'नई मंजिल' नामक विभिन्न कौशल विकास स्कीमों को कार्यान्वित करता है, जिसमें महिलाओं के लिए न्यूनतम 30% सीटें निर्धारित की गई थीं। सीखो और कमाओ का लक्ष्य 14 से 45 वर्ष के आयु-वर्ग के अल्पसंख्यक युवाओं के कौशल को विभिन्न आधुनिक/पारंपरिक कौशल में उन्नत करना है। वर्तमान में, इस स्कीम को एक एकीकृत स्कीम - 'पीएमविकास अर्थात प्रधान मंत्री विरासत का संवर्धन' में परिवर्तित कर दिया गया है। पीएम विकास का लक्ष्य कौशल विकास, शिक्षा, महिला-नीत और उद्यमशीलता के घटकों का उपयोग करके अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से कारीगर समुदायों की आजीविका में सुधार करना है। ये घटक लाभार्थियों की आय बढ़ाने और ऋण तथा बाजार सम्बद्ध सुविधा प्रदान करके सहायता प्रदान करने की स्कीम के अंतिम उद्देश्य में एक-दूसरे का सहयोग करते हैं। यह स्कीम पूरे देश में कार्यान्वित की गई है।

(ग) और (घ) एमएसडीई स्कीम मांग-संचालित हैं और पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान एमएसडीई की विभिन्न स्कीमों के माध्यम से असम सहित उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लोगों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

(ङ) प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) को पिछले 4 वर्षों के दौरान नए आईटीआई (सरकारी और निजी) खोलने के लिए उत्तर-पूर्वी राज्यों से 44 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश (1), असम (37) और मणिपुर (6) से प्राप्त प्रस्ताव शामिल हैं।

(च) भावी कार्यबल हेतु कौशल की आवश्यकता को पूरा करने, कौशल की गुणवत्ता में सुधार करने और उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी में बदलाव के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संरेखित करने के लिए, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा इस प्रकार उठाए गए हैं:

i. सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में नए आईटीआई के माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के बुनियादी ढांचे में विस्तार।

ii. बुनियादी ढांचे, शिक्षाशास्त्र, पाठ्यक्रम और प्रौद्योगिकी अन्तःक्षेप के संदर्भ में आईटीआई का उन्नयन और आधुनिकीकरण।

iii. आईटीआई में इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), नवीकरणीय ऊर्जा, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी (3-डी प्रिंटिंग), मेक्ट्रोनिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी आदि में आधुनिक पाठ्यक्रमों की शुरूआत।

iv. युवाओं को अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का शुभारंभ।

v. निरक्षरों, नव-साक्षरों और 8वीं कक्षा तक प्रारंभिक शिक्षा स्तर वाले और 15-45 वर्ष की आयु-वर्ग के 12वीं कक्षा तक स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले व्यक्तियों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करने के लिए जेएसएस का कार्यान्वयन।

vi. विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न कौशल विकास स्कीमों के कार्यान्वयन में एकरूपता और मानकीकरण लाने के लिए सामान्य मानदंडों की अधिसूचना।

vii. राष्ट्रीय व्यवसाय मानक (एनओएस) विकसित करने के लिए उद्योग-आधारित निकायों के रूप में क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) की स्थापना।

viii. आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता (संकल्प) का कार्यान्वयन, राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर संस्थागत तंत्र को मजबूत करने के लिए एक परिणामोन्मुख विश्व बैंक समर्थित परियोजना।

ix. औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) स्कीम, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और शिक्षुओं के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण की प्रासंगिकता और दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू की गई विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना का कार्यान्वयन।

x. कौशल/रोज़गार मेलों के माध्यम से गतिशीलता/आउटरीच कार्यकलाप, कौशल को आकांक्षीय बनाने के लिए कौशल कैरियर परामर्श स्कीम।

xi. राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) के अनुसार पाठ्यक्रमों का संरेखण।

xii. राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीओटी) के माध्यम से प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण।

xiii. शिक्षुओं को वृत्तिका सहायता प्रदान करके, शिक्षुता इकोसिस्टम की क्षमता-निर्माण करके और तेजी से विकास का समर्थन करने के लिए एडवोकेसी सहायता प्रदान करके देश में शिक्षुता प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) का शुभारंभ।

अनुबंध-I

'अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण' के संबंध में दिनांक 26.07.2023 को पूछे जाने वाले राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 764 के उत्तर के संदर्भ में उल्लिखित अनुबंध।

पीएमकेवीवाई: असम राज्य सहित उत्तर-पूर्व क्षेत्र में प्रशिक्षित व्यक्तियों की कुल संख्या

टीसी राज्य	वित्त-वर्ष-20-21		वित्त-वर्ष -21-22		वित्त-वर्ष -22-23		वित्त-वर्ष -23-24 (जून 2023 तक)	
	अल्पसंख्यक प्रशिक्षित/ उन्मुख	कुल प्रशिक्षित/ उन्मुख	अल्पसंख्यक प्रशिक्षित/ उन्मुख	कुल प्रशिक्षित/ उन्मुख	अल्पसंख्यक प्रशिक्षित/ उन्मुख	कुल प्रशिक्षित/ उन्मुख	अल्पसंख्यक प्रशिक्षित/ उन्मुख	कुल प्रशिक्षित/ उन्मुख
अरुणाचल प्रदेश	10,148	51,991	4,193	8,884	205	667	293	861
असम	59,105	3,62,506	6,473	24,517	2,144	8,721	538	3,482
मणिपुर	14,329	34,540	3,607	6,424	406	1,146	161	604
मेघालय	12,138	17,769	1,885	3,406	1,018	1,245	86	120
मिजोरम	10,355	11,433	4,024	4,742	1,085	1,162	279	829
नगालैंड	10,246	14,399	4,089	4,184	1,715	1,803	160	439
सिक्किम	957	3,634	260	1,322	47	381	30	262
त्रिपुरा	4,459	46,676	282	4,490	99	1,608	34	877

जेएसएस: असम राज्य सहित उत्तर-पूर्व क्षेत्र में प्रशिक्षित लाभार्थी:

राज्य	वित्त-वर्ष 2020-21		वित्त-वर्ष 2021-22		वित्त-वर्ष 2022-23		वित्त-वर्ष 23-24* (जून 2023 तक)	
	अल्प संख्यक	कुल	अल्प संख्यक	कुल	अल्प संख्यक	कुल	अल्प संख्यक	कुल
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0		
असम	2138	8883	2161	8999	2566	9460	19	316
मणिपुर	261	5327	184	6285	203	7779	0	0
मेघालय	0	0	0	0	38	1660	0	50
मिजोरम	0	0	0	900	0	2058	0	140
नगालैंड	0	1800	0	1812	0	1999	0	0
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
त्रिपुरा	17	1101	15	2610	42	3679	0	0

*नामांकित

सीटीएस (आईटीआई): पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान असम राज्य सहित उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में इस स्कीम के अंतर्गत आईटीआई में नामांकित छात्रों की संख्या:

राज्य का नाम	नामांकित 2019	नामांकित 2020	नामांकित 2021	नामांकित 2022
अरुणाचल प्रदेश	564	577	497	674
असम	2965	3210	3500	3548
मणिपुर	80	82	108	668
मेघालय	512	514	508	671
मिजोरम	274	242	256	334
नगालैंड	228	222	186	267
सिक्किम	207	260	181	424
त्रिपुरा	1482	2043	1603	2470

एनएपीएस: उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सम्बद्ध शिक्षुओं की संख्या (अल्पसंख्यक डेटा ट्रैक नहीं किया गया):

राज्य	सम्बद्ध शिक्षुओं की संख्या			
	वित्त-वर्ष 20-21	वित्त-वर्ष 21-22	वित्त-वर्ष -22-23	वित्त-वर्ष 23-24 (30.06.2023 तक)
अरुणाचल प्रदेश	2	18	37	3
असम	2,432	13,981	9,602	3516
मणिपुर	10	90	32	3
मेघालय	105	116	181	14
मिजोरम	1	4	4	2
नगालैंड	1	27	22	4
सिक्किम	151	302	202	75
त्रिपुरा	253	242	368	63
